न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 155/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 9.11.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

हरिसिंह आत्मज धन्ना जाति बंजारा निवासी ककोडी खेडा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।

.... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये ना0 तहसीलदार हरनावदा शाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।

.........रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अमृत मीणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्दीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 322/2020 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान हरिसिंह बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 3.11.2020 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय ना0 तहसीलदार हरनावदा शाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा ने मिसल संख्या 726/2015 धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत अपीलांट द्वारा सं0 2072 मे ग्राम ककोडीखेडा की सरकारी भूमि किस्म पठार की ख0 नं0 81 रकबा 8 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 12.12.2015 को 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 400/–रूपये तावान से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3.11.2020 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 3.11.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने आसपास के व्यक्तियों के बयान लेख बद्ध किये बिना व पूर्ण शहादत लिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को दण्डित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना मात्र कयास के आधार पर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यथावत रखने का जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर से सं0 2072 मे ही कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है वर्तमान मे अपीलांट का कोई कब्जा नही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज नही करने मे भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा का निर्णय दिनांक 3.11.2020 व परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12. 2015 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय ने आसपास के व्यक्तियों के बयान लेख बद्ध किये बिना व पूर्ण शहादत लिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को दण्डित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस नही दिया तथा ना ही सुनवाई का अवसर दिया। मात्र कयास के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर से सं0 2072 मे ही कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है वर्तमान मे अपीलांट का कोई कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने मिसल अपीलांट द्वारा सं0 2072 मे ग्राम ककोडीखेडा की सरकारी भूमि किस्म पठार की ख0 नं0 81 रकबा 8 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 12.12.2015 को 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 400/—रूपये तावान से दण्डित किया गया। परीक्षण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी किस्म पठार की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नही है अपीलांट बार—बार अतिचारी करने के आदि है जिसकी पुष्टि रिपोर्ट पटवारी हल्का से होती है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने अपील प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपील को खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपील खारिज की जाने योग्य है।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सरकारी भूमि किस्म पठार है, जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील मिमो मे उल्लेखित किया है कि उसने उक्त वर्णित भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है। इससे अपीलांट का उक्त वर्णित सरकारी भूमि किस्म पठार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की स्वतः ही पुष्टि होती हो जाती है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे भी सं0 2071 रबी मे इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे परीक्षण न्यायलय के प्रकरण सं0 439/2015 निर्णय दिनांक 20.3.2015 से दण्डित किया जाकर मौके से बेदखल किया गया था अपीलांट द्वारा पुनः सं0 2072 मे अतिक्रमण किया गया है। पत्रावली के अवोकलन से यह भी स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। किन्तु बावजूद तामील के अपीलांट वक्त निर्णय परीक्षण न्यायालय ना0 तह0 हरनावदाशाहजी मे अनुपस्थित रहा है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क कि "अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है तथा उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी नही किया गया" आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे परीक्षण न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है।

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा मिसल संख्या 322/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 3.11.2020 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/1/2021

(कैलाश चन्द मीमा)
संभागीय आयुक्त
कोटा